संख्या- 41 /26-ब0प्र0-2014-373(बी)/2007

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2014

विषय:- अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत खोले गये 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शेष 02 ट्रेडों के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-128ए/तीन/वि-4-एस.सी.पी.-2004-05-नये संस्थान दिनांक 08 अगस्त, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शेष 02 ट्रेडों जिनका विवरण निम्नवत है, का संचालन किये जाने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुरूप आवश्यक साज-सज्जा/उपकरणों की कमी की आपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 17,50,00,000/- (रू0 सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा बल्कि 02 समान किश्तों में आहरण किया जायेगा:-

(1) इन्फारमेशन टेक्नालाजी एण्ड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मैंटोनेंश।

(2) मैकेनिक रेफरीजरेशन एण्ड एयर कन्डीशनिंग।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण एवं संयत्र के नामें डाला जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेगें तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- मशीनों तथा साज-सज्जा/ उपकरणों आदि का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5भाग(1) में उल्लिखित स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत और इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार तथा निदेशालय में गठित क्रय समिति द्वारा अनुमोदित मानक सूची के अनुसार ही किया जायेगा। क्रय किये गये मशीनों तथा साज-सज्जा/ उपकरणों की प्रमाणित सूची एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। लघु उद्योग अनुभाग-5 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-344/18-5-2003-76(एसपी) दिनांक 10.3.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही, जो साज-सज्जा अब स्वीकृत की जा रही है, वह इन संस्थानों के लिए पूर्व में स्वीकृत न किये जाने तथा उपलब्ध करायी जा रही साज-सज्जा संस्थानों को प्रथम बार दी जा रही है और वह अन्य संस्थानों में सरप्लस नही हैं, का प्रमाण पत्र धनराशि व्यय करने के पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-42/दस-2014, दिनांक 20.1.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 41 (1)/26-ब0प्र0-2014- तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा निदेशक।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in